भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3105
जिसका उत्तर बुधवार,14मार्च,2018 को दिया जाना है

संवैधानिक संशोधन

3105. डॉ. उदित राज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरणों के गठन की मतदाता सूची में निर्वाचित सरपंचों तथा ग्राम कचहरी के पंचों के नामों को शामिल करने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई करने का है?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) और (ख) : जी, हां ।संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभागने अपनी 63वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि राज्य के पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों तथा विधान परिषदों में वार्ड समितियों दोनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के समुचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है । चूंकि, यह मामला सभी राज्य सरकारों से संबंधित है, उनके टिप्पण मांगे गए थे, जो अभी तक विभिन्न राज्यों, जिसमें बिहार की राज्य सरकार भी शामिल हैं, से प्रतीक्षित है ।

****